न्यायालय में – श्रीमान् सदस्य माहेदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानी 1702-II-15

पंचू बैगा पिता श्री मिर्रू बैगा निवासी– ग्राम छतवई तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0

———————निगरानीकर्ता

बनाम

कमलेश कुमारी गुप्ता पिता कुन्जी लाल गुप्ता निवासी– ग्राम निपनिया तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0

————गैर निगरानीकर्ता

निगरानी अन्तर्गत धारा 150 व धारा 8 मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959

प्र0क्र0–3/अ–74/14–15 आदेश दिनांक–13.04.2015 जो अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार वृत्त सोहागपुर नं0–2, तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त कथन निम्नलिखित है–

1. यह कि, निगरानीकर्ता आराजी खसरा नं0–1487 रकवा 0.20 एकड़ एवं खसरा नं0–1855 रकवा 1.50 एकड़ जो स्थित ग्राम छतवई तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 का भूमि स्वामी काबिज काश्त व भूमि स्वामी है।
2. यह कि खसरा नं0–1857 रकवा 1.416 हेक्टेयर स्थित ग्राम छतवई तहसील सोहागपुर जिला शहडोल म0प्र0 जो गैर निगरानीकर्ता की भूमि स्वामी की आराजी राजस्व अभिलेख पर प्रविष्ट है।

पंचू बैगा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R1702-II/15 जिला–शहडोल

पंचू वैगा/ कमलेश कुमारी गुप्ता

(1)	(2)	(3)
5-8-19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र शेषर अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी ना0 तहसीलदार, वृत्त सोहागपुर नं0 2, तहसील सोहागपुर के प्रकरण क्रमांक 3/अ–74/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 13.04.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.10.19 को कलेक्टर, जिला शहडोल के समक्ष उपस्थित हो। (महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य	